न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—647/2012/223 (2012/00063)

1. श्रीमती दाखा पत्नी पांचू, जाति जाट, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— सांवरा पुत्र पांचू, जाति जाट, स्वर्गवास,
   1/2— उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट,
   1/3— श्रीमती सायरी पुत्री पांचू, जाति जाट,
   1/4— श्रीमती छोटी पुत्री पांचू, जाति जाट,
   1/5— श्रीमती शांति पुत्री पांचू, जाति जाट,
2. सांवरा पुत्र पांचू, जाति जाट, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती गीता पत्नी स्व0 सांवरा,
   2/2— अर्जुन पुत्र स्व0 सांवरा,
   2/3— विनोद पुत्र स्व0 सांवरा,
   2/4— दिनेश पुत्र स्व0 सांवरा,
   2/5— कंचन पुत्री स्व0 सांवरा,
   समस्त निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कालू पुत्र काना, जाति जाट, नि0 देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. रामा पुत्र काना, जाति जाट,
3. नन्दा पुत्र गांधी, जाति जाट,
4. अशोक पुत्र नन्दा,
5. मीरा पुत्री नन्दा,
6. बन्दरा पुत्री नन्दा,
7. शारदा पुत्री नन्दा,
8. सुखपाल पुत्र गंभीरा,
9. आशा पुत्री नन्दा,
10. नीना पुत्र नन्दा, जाति जाट,
    निवासी रामदयाल मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
11. उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
12. सायरी पुत्री पांचू पत्नी देवकरण, जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
13. छोटी पुत्री पांचू, पत्नी शिवराज, जाति जाट, नि0 ग्राम लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
14. शांति पुत्री पांचू पत्नी कल्याण, जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
15. मांगू पुत्र काना, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
16. कोका पुत्री काना, जाति जाट, नि0 ग्राम बुबानिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
17. संतू पुत्री काना, जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

18. श्योदान पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
19. शिशपाल पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
20. भंवरलाल पुत्र गंभीरा जाति जाट,
21. रिद्धकरण पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
22. जीवण लाल पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
23. गीता पत्नी गोपाल, जाति जाट,
24. शिवराज पुत्र गोपाल, जाति जाट,
25. हंसराज पुत्र गोपाल, जाति जाट,
    समस्त निवासी ग्राम चाट, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 10.9.2012 अंतर्गत वाद संख्या 108/2010.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 18 से 25.
4. रेस्पो0 संख्या 2 से 17 अनुपस्थित ।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 26.

निर्णय

दिनांकः— 3.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 5816, 5521, 5693, 5812, 5815, 5820, 5821, 5822, 5824, 5826, 5877, 5695, 5695/7195, 1657, 5698, 5872, 5874, 5697, 5722, 5689, 5690, 5817 में रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है लेकिन बंदोबस्त विभाग ने गैर कानूनी रूप से वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 के पिता जगन्नाथ पुत्र जवारा के नाम दर्ज है । उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 आराजी पर दखलदांजी कर रहे है । अतः हाल इंद्राज दुरूस्त कर रेस्पो0 को आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त वाद का जवाब प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने प्रस्तत किया । अधी0न्याया0 ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर चार तनकियात कायम कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद दिनांक 10.9.2012 को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रामचंद्र के दो पुत्र जुवारा व जोरा हुए । जुवारा के जगन्नाथ हुआ जो नाऔलाद बिना वसीयत एवं बिना किसी को गोद लिए फौत हो गया था जिससे संपूर्ण आराजियात पर जोरा के चारों वारिसान अपने–अपने हिस्से अनुसार वर्षो पूर्व हुए बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे यह साबित हो कि कालू को जगन्नाथ ने गोद लिया हो तथा गोद के संबंध में समाज के किसी पंच या अन्य व्यक्तियों के बयान भी लेखबद्ध नहीं करवाये थे । बयानों में कालू ने साफ कहा है कि मैं गोद पुत्र हूं और रजिस्टर्ड गोदनामा पत्रावली में लगा है किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज कालू द्वारा पेश नहीं किया गया है । जिस समय जगन्नाथ की मृत्यु हुई थी जोरा के वारिसान सभी शामिल रूप से निवास करते थे किन्तु जगन्नाथ के हिस्से की आराजियात हड़पने के लिए महत्वूपर्ण तथ्यो को छिपाकर वाद निर्णित करवाया है । रामचन्द्र का पोता नाऔलाद फौत होने पर जोरा के चार वारिसान जिसमें तीन पुत्र एवं एक पुत्री विधिक वारिसान थे जिसमें दाखा पुत्री जोरा को अपनी पुश्तैनी आराजियात में से किसी प्रकार का कुछ भी हिस्सा न देकर भारी कानूनी भूल की है तथा वर्किग व हाल में खुले नामांतकरण को भी कालू द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है । केवल मात्र एक चौसाला जमाबंदी में गलत त्रुटिपूर्ण इंद्राज होने मात्र से दत्तक पुत्र मान लेने में अधी0न्याया0 ने कानूनी भूल की है । इस कारण अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पत्रावली में कालू पुत्र जगन्नाथ नाम का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि कालू जगन्नाथ का गोद पुत्र है एवं न ही ऐसा कोई गवाह पेश किया जिससे यह साबित होता हो कि कालू जगन्नाथ के गोद गया हो जबकि वर्तमान में भी कालू के पिता का नाम काना ही दर्ज है । जिसकी पुष्टि राशनकार्ड, बिजली के बिल एवं पहचान पत्र आदि से होती है । वर्तमान में विवादित आराजियात पर प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा मौके पर विद्यमान है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाकर वाद वाद किया जिसे अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वाद डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1991 पेज 426 हेडनोट–बी, आर0बी0जे0 2020 (27) पेज 122, आर0एल0डब्ल्यू0 2013 (2) राज0 पेज 912, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 695, आर0बी0जे0 2016 पेज 221 एवं ए0आई0आर0 2008 झारखण्ड पेज 12 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात वादी कालू एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की पुश्तैनी आराजियात है । वादपत्र में अंकित सजरे अनुसार वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का 1/2 हिस्सा है । लेकिन बंदोबस्त विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश, रहन, बेचान एवं मुंतकिल किये बिना पूर्व प्रविष्टी को परिवर्तित कर वर्किग जमाबंदी एवं आधार जमाबंदी में गलत रूप से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण इंद्राज है । वादग्रस्त आराजियात जमाबंदी सन् फसली 1349 के अनुसार वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र जवांरा एवं जोरा पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज है जिससे

वादी के पिता जगन्नाथ का उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा होना सिद्ध है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालू जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है जो साबिक खसरा संख्या 441 बाबत् जमाबंदी चौसाला संवत् 2018 से 2021 में दर्ज इंद्राज से सिद्ध है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अन्य साबिक आराजी खसरा नंबर 441 में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है । अपीलांट ने उक्त आराजी में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के 1/2 हिस्से बाबत् कोई खण्डन नहीं किया है तथा न ही अन्य आराजी में वादी का 1/2 हिस्से तर्क करने के लिये प्रतिदावा ही पेश किया है । राजस्व अभिलेख में गलत तौर पर रेस्पो0 कालू का 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के कारण एवं जगन्नाथ पुत्र जुवारा जिसका कि रेस्पो0 कालू दत्तक पुत्र है इस कारण अपीलाधीन भूमियों में 1/2 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 कालू का 1/2 हिस्सा घोषित करने में कोई कानूनी त्रुटि कारित नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट–3 पेज 1891–बी, आर0आर0डी0 2012 पार्ट–2 पेज 1395 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हस्तगत वाद संख्या 108/2010 वादी/रेस्पो0 कालू ने अपने आपको जगन्नाथ का दत्तक पुत्र बताकर अधी0–न्याया0 के समक्ष पेश किया था । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 द्वारा वादी/रेस्पो0 कालू का वाद स्वीकार कर ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद के खसरा संख्या 5521, 5693, 5812, 5815, 5820, 5821, 5822, 5824, 5826, 5877, 5695, 5695/7185, 5872, 5874, 5697, 1647, 5698 रकबा क्रमशः 0.29, 0.24, 0.05, 1.24, 0.32, 0.54, 0.44, 0.23, 0.05, 0.44, 1.21, 0.34, 0.04, 0.10, 1.14, 0.04, 0.20 है0 में हाल खसरा नंबर 5815 रकबा 1.24 में से 0.12 है0 खसरा नंबर 5820 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 5821 रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 5822 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 5877 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 5872 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 5874 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 5697 रकबा 1.14 है0 पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा शेष आराजी पर वादी का हिस्सा पूर्वानुसार रखा है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद भी वादी कालू ने जगन्नाथ के गोदपुत्र की हैसियत पेश किया था । चूंकि वादी कालू द्वारा एक अन्य वाद 70/2010 अधी0न्याया0 के समक्ष जगन्नाथ के गोदपुत्र की हैसियत से पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 द्वारा डिक्री किया गया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस दाखा वगैरह द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 648/2012 (2012/00648) बउनवान श्रीमती दाखा वगै0 बनाम कालू वगैरह पेश की गई जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 3.12.2020 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को गोद के बिन्दू पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई है । हस्तगत प्रकरण में भी पक्षकारान एवं विवाद बिन्दू समान होने से हस्तगत अपील में भी अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1, 2 व 3 पर पारित निर्णय निरस्त योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 108/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वाद संख्या 70/2010 के साथ वाद संख्या 108/2010 की पत्रावली को सम्मिलित कर उभयपक्ष को गोद के बिन्दू पर साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर